संख्या- 413 /XV-2/01(05)/2017(डेरी बजट)

प्रेशक,

 आर.मीनाक्षी सुन्दरम्,

 सचिव,

 उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेषक,

डेरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड।

पषुपालन अनुभाग-02 देहरादूनः दिनंाक 09 सितम्बर, 2019ः

विशय- वित्तीय वर्श 2019-20 में नाबार्ड की RIDF योजना Renovation of Dairy Development अन्तर्गत स्वीकृत 07 योजनाओं हेतु प्राप्त मोबिलाईजेषन एडवांस की धनराषि रू0 284.43 लाख के सापेक्ष 06 योजनाओं हेतु रू0 164.73लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विशयक अपने पत्र संख्या-2056-56/नियोजन- त्प्क्थ्. पत्रावली/2018-19 दिनंाक 08 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें।

2- अवगत कराना है कि नाबार्ड के पत्र दि0 16.03.2018 के द्वारा RIDF योजना Renovation of Dairy Development अन्तर्गत स्वीकृत 07 योजनाओं हेतु रू0 998.00 लाख की धनराषि स्वीकृृत की गयी, जिसमें नाबार्ड ऋण रू0 948.00 लाख तथा रू0 49.90 लाख राज्यांष सम्मिलित है।उक्त योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा योजना की लागत के सापेक्ष जनपदवार धनराषि स्वीकृत की गयी है। नाबार्ड उच्चाधिकार प्राप्त समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में जनपद हरिद्वार के गैंडीखत्ता हेतु प्राप्त धनराषि को कोटद्वार हेतु स्थानान्तरित की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि वित्तीय वर्श 2019-20 हेतु राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत नाबार्ड की RIDF योजना Renovation of Dairy Development अन्तर्गत स्वीकृत 07 योजनाओं की कुल लागत रू0 998.0 लाख की प्रषासकीय स्वीकृति इस षर्त के अधीन दी जाती है कि निमार्ण कार्य हेतु (टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित) रू0 482.33 लाख (चार करोड बयासी लाख तैंतीस हजार) एंव रू0 516.00 लाख (रू0 पांच करोड सोलह लाख मात्र)मषीनरी क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली- 2017(समय-समय पर यथासंषोधित) के प्राविधानों एंव मषीनरी क्रय तथा अन्य साम्रग्री क्रय के सम्बन्ध में षासन स्तर से समय-समय पर निर्गत समस्त षासनादेषों के प्राविधानों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जायेगा। नाबार्ड से प्राप्त मोबिलाईजेषन एडवांस की धनराषि रू0 284.43 लाख (रूपये दो करोड चैरासी लाख तैंतालीस हजार मात्र) में से रू0 119.70 लाख की धनराषि (जो कि जनपद हरिद्वार हेतु प्राप्त हुई है) को घटाते हुये रू0 164.73 लाख की धनराषि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराषि ’’संलग्न परिषिश्ट-क’’ के अनुसार निम्नलिखित षर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. नाबार्ड की RIDF योजना Renovation of Dairy Developmentके अन्तर्गत स्वीकृत 07 योजनाओं के सिविल निर्माण कार्य के आगणन में आकंलित धनराषि रू0 500.89 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा निर्माण कार्य हेतु रू0 460.71 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संषोधित, 2017 के अन्तर्गत रू0 21.62 लाख अर्थात कुल औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराषि रू0 482.33 लाख एवं रू0 516.00 लाख (रू0 पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) मषीनरी क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संषोधित में दिये गये दिषा-निर्देषों का अनुपालन करते हुये क्रय किया जायेगा।

2. परिषिश्ट-क में उल्लिखित योजना हरिद्वार हेतु प्राप्त मोबिलाईजेषन एडवांस रू0 119.70 लाख (रू0 एक करोड उन्नीस लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति हरिद्वार के अन्तर्गत गैंडीखत्ता के सापेक्ष कोटद्वार में अवषीतन केन्द्र स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त होने के पष्चात ही दी जायेगी।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवष्यक होगी।

4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराषि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराषि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृश्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विषिश्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिष्चित करें।

6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगषाला से अवष्य करा लिया जाये तथा विषिश्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

7. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दषा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन के षासनादेष संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेषों का कड़ाई से पालन करने का कश्ट करें।

10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिष्चित किया जाए।

11. स्वीकृत की जा रही धनराषि आहरित कर षासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेषन लि0 को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

12. स्वीकृत धनराषि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत षासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. स्वीकृत धनराषि का उपयोग निष्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराषि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

2- उक्त धनराषि का व्यय चालू वित्तीय वर्श 2019-20 में अनुदान सं0- 28 के लेखाषीर्शक 2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-98-नाबार्ड-9802-नाबार्ड द्वारा आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत वित्त पोशित योजना(सामान्य)-20-सहायक अनुदान/अंषदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेष वित्त विभाग के अषासकीय संख्या-672 /XXVII(1)/2019, दिनंाक 06.09.2019 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

 (आर.मीनाक्षी सुन्दरम्)

 सचिव।

संख्या- /XV-2/2019 तद्दिनंाक

 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कोलागढ रोड़, देहरादून।

2. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड षासन।

3. कोशाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।

4. निदेषक, बजट राजकोशीय नियोजन तथा संसाधन निदेषालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5. निदेषक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।

6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुन्डीर)

उप सचिव।

परिशिष्ट-‘क’

षासनादेष संख्या: 413 /XV-2/01(05)/2017, दिनांक 09 सितम्बर, 2019 का संलग्नक

(धनराषि रू0 लाख में)

क्र0स0 योजना का नाम जनपद योजना की लागत नाबार्ड द्वारा देय ऋण राज्य सरकार अंष योजना की लागत का 30ः अग्रिम मोबाईलेषन एडवांस स्वीकृत नाबार्ड द्वारा अवमुक्त मोबाईलेषन एडवांस प्रस्तावित/ अवमुक्त की जा रही मोबाईलेषन एडवांस की धनराषि

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन नैनीताल

नैनीताल

405.00

384.75

20.250

115.425

115.425

115.425

2. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन ऊधमसिंहनगर

ऊधमसिंह नगर

55.00

52.25

2.750

15.675

15.675

15.675

3. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन अल्मोड़ा

अल्मोड़ा

35.00

33.25

1.750

9.975

9.975

9.975

4. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन बागेष्वर

बागेष्वर

15.00

14.25

0.750

4.275

4.275

4.275

5. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन चम्पावत

चम्पावत

27

25.65

1.350

7.695

7.695

7.695

6. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन देहरादून

देहरादून

41.00

38.95

2.050

11.685

11.685

11.685

7. स्टेªनथिंग आॅफ मिल्क चिलिंग फैसिलिटिस्ज एण्ड कोल्ड चेन फाॅर मिल्क एण्ड मिल्क प्रोेडक्ट इन हरिद्वार

हरिद्वार

420.00

399.00

21.000

119.700

119.700

-

 महायोग :- 998.00 943.10 49.90 284.43 284.43 164.73

(वी0एस0 पुन्डीर)

उप सचिव।